न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 38/अपील/19 तारीख दायरा 03.06.19

मल्लूसिंह उर्फ जितेन्द्र सिंह आ0 गोरधन सिंह निवासी तारज तहसील खानपुर

अपीलान्ट.....

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये क्षैत्रीय वन अधिकारी खानपुर

रेस्पोडेन्ट....

अपील बनाराजगी भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 आदेश दिनांक 20.11.18 तहसीलदार खानपुर

उपस्थितः– श्री रामबाबू माहेश्वरी वकील अपीलान्ट

दिनांकः 29.08.19

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक सहायक वन संरक्षक झालावाड़ के आदेश दिनांक 20.11.13 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को वन खण्ड तारज ग्राम की आराजी ख0न0 134 की 5 बिस्वा भूमि पर तीन दुकान पक्का मकान बनाकर अतिक्रमी मानते हुये 4350/ –शास्ती एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है–अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना केप्रिशियस तथा परवर्स होने से अपास्त होने योग्य है–प्रार्थी को उक्त आराजी का ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया नोटिसों की भी तामील पूर्ण रूप से अपीलान्ट को नही करवाई गई । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गईं।

योग्य वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमो की पुष्टी करते हुये व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है, नोटिस की भी विधिवत रूप से तामील नही कराई गई है, जिस प्रश्नगत भूमि पर अपीलाटन्ट को अतिक्रमी माना गया है उस आराजी का ग्राम पंचायत तारज द्वारा वर्ष 1965–66 में 30 लोगो का आवासीय पट्टे जारी किये गय थे जिसमें अपीलान्ट भी शामिल है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई 2 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस पर भी गौर किया गया–अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखी गई। विद्वान अभिभाषक द्वारा दौरान बहस प्रस्तुत किये गये पट्टे का भी अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन एवं वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन की तामील विधिवत रूप से नही करवाई गई है, अपीलार्थी को बिना सुने निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे का भी निर्णय दिनांक 20.11.18 में कोई उल्लेख नही है। अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील द्वारा पारित सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है, शेष निर्णय यथावत रहेगा। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण मे पुनः सुनवाई करे व कब्जे एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टों के बाबत आवश्यक तहकीकात कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करने की कार्यवाही अमल मे लावे। अपीलान्ट को जर्ये अधिवक्ता पाबन्द किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.09.2019 को उपस्थित होकर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण में सहयोग प्रदान करावें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे, पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया । निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

(करतारसिंह पूनियॉ)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़